मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ-6-1/2015/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—संतान पालन अवकाश स्पष्टीकरण के संबंध में.

संदर्भ.—वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2015/नियम/चार, दिनांक 22-8-2015 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 6-1/2015/नियम/चार, दिनांक 30-9-2015.

म. प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम-38(सी) द्वारा राज्य सरकार की महिला शासकीय सेवकों को संतान पालन अवकाश की पात्रता निर्धारित की गई है. संतान पालन अवकाश के आवेदन स्वीकृति आदि बिन्दुओं पर विभिन्न माध्यमों से समक्ष में आई जिज्ञासाओं को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :—

(अ) संतान पालन अवकाश के आवेदन के समय किसी प्रकार के प्रमाण-पत्र की पृथक् से आवश्कता नहीं होगी, आवेदन में उल्लेखित कारण पर्याप्त माना जावेगा.

(ब) उपर्युक्त अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय-सीमा अर्जित अवकाश की भांति अर्थात् तीन सप्ताह पूर्व ही होगी.

(स) किसी एक अवसर हेतु कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(उपेन्द्र शर्मा)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.